उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,जबलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक B/8690/चार-12-5/23 जबलपुर, दिनांक 29/11/2023

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश............(म.प्र. राज्य के समस्त)
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय..........(म.प्र. राज्य के समस्त)

विषयः- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण रिट याचिका (सिविल) 643/2015 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरूद्ध भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23/11/2023 के पालन प्रतिवेदन मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किए जाने बावत्।

संदर्भः- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 5622/21-ब(एक)/2023 भोपाल दिनांक 28/11/2023

--00--

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में, संदर्भित पत्र दिनांक 28/11/2023 की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि, आपकी स्थापना से दिनांक 01/01/2016 तथा उसके पश्चात्वर्ती दिनांक से सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक सेवा के अधिकारियों को म.प्र. न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत किये गये पुनरीक्षित वेतन निर्धारण पश्चात् ऐरियर की राशि का भुगतान संबंधित के खाते में किया जा चुका है, **के संबंध में संलग्न प्रपत्र में जानकारी तत्काल दिनांक 30/11/2023 पूर्वान्ह तक अनिवार्य रूप से इस ई-मेल आई.डी. (ag1budgethcjbp@mp.gov.in)** पर जानकारी रजिस्ट्री को प्रेषित करें जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त प्रकरण के आलोक में विधि विभाग, भोपाल को निर्धारित समय अवधि अर्थात् दिनांक 01/12/2023 तक जानकारी प्रेषित की जा सके ?

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

नोट :- उक्त जानकारी दिनांक 30/11/2023 पूर्वान्ह के पश्चात् विलम्ब से जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक स्थापना की ही जवाब देही होगी।

29-11-23
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

पृ.क्रमांक B/8691/चार-12-5/23 जबलपुर, दिनांक 29/11/2023

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर।
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा अनुभाग), उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर।

की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि, उक्त संबंध में जानकारी तत्काल उपरोक्त ई-मेल आई.डी. पर अविलंब प्रेषित करें।

29.11.23
रजिस्ट्रार(एम)

प्रपत्र

कार्यालय का नाम..										
क्र.	सेवारत् उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की संख्या	सेवारत् उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की संख्या जिन्हें ऐरियर्स राशि का भुगतान किया जा चुका है।	दि. 01/01/2016 से वर्तमान तक सेवानिवृत्त हुए उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की संख्या	दि. 01/01/2016 से वर्तमान तक सेवानिवृत्त उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की संख्या जिन्हें ऐरियर्स राशि का भुगतान किया जा चुका है।	सेवारत् म.प्र. न्यायिक सेवा के अधिकारियों की संख्या	सेवारत् म.प्र. न्यायिक सेवा के अधिकारियों की संख्या जिन्हें ऐरियर्स राशि का भुगतान किया जा चुका है।	दि. 01/01/2016 से वर्तमान तक सेवानिवृत्त हुए म.प्र. न्यायिक सेवा के अधिकारियों की संख्या	दि. 01/01/2016 से वर्तमान तक सेवानिवृत्त म.प्र. न्यायिक सेवा के अधिकारियों की संख्या जिन्हें ऐरियर्स राशि का भुगतान किया जा चुका है।	अधिकारियों की संख्या जिन्हें भुगतान नहीं हुआ है।	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
									(HJS)	(MPSJS)

Speed Post
Most Urgent

मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 5622/21–ब(एक)/2023 भोपाल, दिनांक 28/11/2023

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश, जबलपुर

विषय :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण रिट याचिका (सिविल) 643/2015 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरूद्ध भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23/11/2023 अनुसार कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

संदर्भ :– श्री सन्नी चौधरी, स्थाई अधिक्ता, म0प्र0राज्य के पत्र दिनांक 25/11/2023 व उससे संलग्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 23/11/2023.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है श्री सन्नी चौधरी, स्थाई अधिक्ता, म0प्र0राज्य द्वारा माननीय मुख्य सचिव एवं अन्य को प्रेषित पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 23/11/2023 को कोर्ट नं0–1 में सुनवाई हेतु नियत था जिसमें प्रतिवादी क्रमांक–45 म0प्र0 राज्य की ओर से श्री सौरभ मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता उपस्थित हुए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में म0प्र0 राज्य को अगली सुनवाई हेतु नियत दिनांक 06/12/2023 तक स्थाई अधिवक्ता के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में दिए गए पूर्व आदेश दिनांक 19/05/2023 के अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन, पेंशन व एरियर की राशि का उनके खाते में किए गए वास्तविक भुगतान के संबंध में पालन का प्रतिवेदन सहित शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गए है।

अतः उपरोक्तानुसार किए गए वास्तविक भुगतान की जानकारी 02 दिवस में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध है जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 23/11/2023 अनुसार म0प्र0 राज्य की ओर से पालन का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

28/11/23
(उमेश पाण्डव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग